IJAER/Jan-Feb 2022 /Volume-11/Issue 1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

# उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चेतना के विकास में राजनीतिक दलों का महत्व– उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में

**Akshay bhatt**

research scholar ( department of political science)

tilak dhari pg college jaunpur

( Veer Bahadur Singh purvanchal university jaunpur )

## सार

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चेतना के विकास में राजनीतिक दलों का महत्व का विश्लेषण करता है जिसमे रजनीतिक दलों की व्याख्या की है भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार का गठन, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस अवधि का एक और महत्वपूर्ण निशान है । संसदीय लोकतंत्र के लिए विभिन्न राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल नागरिकों के संगठित समूह है, जो एक सी विचारधारा रखते है। ये अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध होते है। राजनीतिक दल एक शक्ति के रूप मे कार्य करते है और सदैव शक्ति प्राप्त करने उसे बनाये रखने का प्रयास करते रहते है। राजनीतिक दलों मे कुछ सामान्य विशेषताएं होती है।

**मुख्य शब्द :** राजनीतिक, दलों, संसदीय,चेतना लोकतंत्र, विचारधारा.

## प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश, जिसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति को आकार दिया है, 1990 तक कांग्रेस शासन, गठबंधन राजनीति शासन और क्षेत्रीय पार्टी शासन के रूप में तीन अलग–अलग चरणों के साथ कई उतार–चढ़ाव से गुजरा है। कांग्रेस पार्टी ने लगभग चार दशकों तक शासन किया था और अपने सत्र नेटवर्क के तहत सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों द्वारा प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस शासन के दौरान, चौधरी चरण सिंह, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान नेता थे, ने 1967 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया और 1967 में भारतीय क्रांति दल (बीकेडी) नामक एक नई पार्टी का गठन किया (सहदेव, 2015)। 1989 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के सत्ता में आने के साथ उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन देखा गया।

1989 के विधानसभा चुनाव ने जनता दल को सत्ता में ला दिया, जबकि जनता दल टूट गया। 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार का गठन, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस अवधि का एक और महत्वपूर्ण निशान था। 1990 के अंत में ग्रामीण जमींदारों के बीच राजनीतिक गठबंधन की क्षति उत्तर प्रदेश की राजनीति में अधिक लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी है जो समाजवादी पार्टी (एसपी), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के एक प्रमुख के रूप में उदय से जुड़ी है। राजनीतिक बल। ये तीनों 1990 के दौरान गठबंधन की विविधता के माध्यम से सत्ता में रहे हैं लेकिन अपनी स्थिरता साबित नहीं कर सके। समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच गठबंधन सुविधा के

लिए राजनीति का सबूत था, और स्वार्थ और क्षुद्र राजनीति के कारण गठबंधन जारी नहीं रह सका। इन सभी चिंताओं को क्षेत्रीय दलों के उद्भव, बाबरी मस्जिद–अयोध्या मंदिर के मुद्दों और मंडल मुद्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिन्होंने राज्य में अपने राजनीतिक आधार को फैलाने के लिए क्षेत्रीय दलों को आधार प्रदान किया। 1993 और 1996 के विधानसभा चुनावों में, एक भी राजनीतिक दल को राज्य पर शासन करने के लिए बहुमत नहीं मिला, जिससे अल्पकालिक गठबंधन सरकार बनी।

2002 के विधानसभा चुनाव में, फिर से खंडित जनादेश उभरा था, और यह उत्तर प्रदेश का आखिरी विधानसभा चुनाव था जब राज्य के मतदाताओं ने राज्य पर शासन करने के लिए खंडित जनादेश प्रदान किया था। उत्तर प्रदेश के चुनावी रुझान, लगभग पंद्रह वर्षों (1993 से 2007) के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए त्रिकोणीय मुकाबले के एक पैटर्न द्वारा चिह्नित किया गया है।

2017 के विधानसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश में बदलाव लाया और भाजपा क्षेत्रीय गठबंधन को पीछे छोड़ते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। 1990 के मध्य से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सीटों और वोट शेयर में गिरावट देखी गई थी, लेकिन 2014 के संसदीय चुनाव ने राज्य में अपना समर्थन हासिल करने के लिए ऊर्जा प्रदान की थी, और 2017 के विधानसभा चुनाव में बदलाव का फल देखा गया प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में और आया। वहीं बीजेपी को 14.4 फीसदी वोटों के साथ महज 3 सीटें मिली थीं। वहीं 2017 में नतीजे बिल्कुल उलट गए और 85 सुरक्षित सीटों पर 2017 के नतीजों में 69 सीटें भाजपा ने जीतीं। भाजपा को 39.8 प्रतिशत वोट मिले। वहीं सपा को 19.3 फीसदी वोट और 7 सीट मिली जबकि बीएसपी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। दलित चिंतक कहते हैं कि दलितों के बीच सामाजिक समरसता अभियान के तहत आरएसएस ने उस दलित वोट बैंक पर निशाना साधा जिस पर बीएसपी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। इसका फायदा बीजेपी को सीधे–सीधे देखने को मिला। गैर–जाटव दलित जातियों को बसपा में न तो नेतृत्व में जगह मिली और न ही सत्ता में जाटव समाज की तरह भागीदारी मिली।

## राजनीतिक दलीय व्यवस्था

संसदीय लोकतंत्र के लिए विभिन्न राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल नागरिकों के संगठित समूह है, जो एक सी विचारधारा रखते है। ये अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध होते है। राजनीतिक दल एक शक्ति के रूप मे कार्य करते है और सदैव शक्ति प्राप्त करने उसे बनाये रखने का प्रयास करते रहते है। राजनीतिक दलों मे कुछ सामान्य विशेषताएं होती है।

## राजनीतिक दलों के निम्नलिखित कार्य हैं––

1. **प्रतिनिधित्व** राजनीतिक दलों का प्राथमिक कार्य प्रतिनिधित्व करना है। आधुनिक समाज खासकर वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। इसमें नागरिक शासन व्यवस्था के प्रत्येक

कार्य में सहभागिता न कर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो उनके एजेंट में कार्य करते हैं। सभी नागरिकों के पास सभी शासकीय कार्यों के लिए समय तथा प्रशिक्षण नहीं है इसलिए संसद, विधानसभाओं में भी प्रतिनिधि उन नागरिकों के हितानुरूप कार्य करते हैं, जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है। राजनीतिक दल भी एक बड़े प्रतिनिधि (एजेंट) के रूप में कार्य करते है। वह जनता के सामने अपनी विचारधारा, सिद्धांत व नीतियाँ रखते है और उसी आधार पर (अपने सदस्यों को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार बनाकर) जनता से समर्थन व वैधता जुटाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जन–शक्ति का प्रतिनिधित्व उन्हीं के प्रतिनिधि बनकर करते हैं। इसी प्रतिनिधित्व को ही प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल बार–बार चुनाव के माध्यम से नागरिकों के बीच जाते है और वोट रुपी सहमति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे सत्ता प्राप्त की जा सके।

2. **चुनाव लड़ना तथा सत्ता की प्राप्ति** जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामान्यत दल चुनाव लड़ते हैं। अलग–अलग चुनावी पद्धतियों में चुनाव भिन्न–भिन्न प्रकार के होते हैं। परन्तु चुनावी अभियान चुनावी घोषणापत्र चुनावी सभाएं आदि, जो हर चुनाव में समान रहता है, से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राजनीतिक दल सर्वाधिक विजयी होने वाले उम्मीदवार को चुनाव में प्रत्याशी व दल का उम्मीदवार बनाते है कई राजनीतिक व्यवस्थाओं में दल ही चुनावों के औपचारिक संघर्षकर्त्ता होते हैं। मतदाताओं को दलों में से ही किसी दल को चुनना होता है परन्तु कई प्रसिद्ध व्यवस्थाओं में दल अपने सक्षम उम्मीदवार खड़े करते हैं, जिन्हें ही मतदाता चुनता है। अधिक संभावना यह रहती है कि उम्मीदवार राजनीतिक दल के जुड़ाव के कारण मत प्राप्त करता है। जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक संख्या में संसद व विधानमंडल की सीटें मिलती है, वह ही जनता से शासन व प्रतिनिधित्व करने की वैध सत्ता प्राप्त करता है और सरकार (शासन) चलाता है।

3. **हित स्पष्टीकरण** एवं हित समूहन राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य समाज में विद्यमान विभिन्न हितों को इकट्ठा करना तथा उनके पूर्ण होने के लिए विधानमंडल के अन्दर व बाहर प्रयास करना है। इसी प्रक्रिया में वह विभिन्न माँगे (हित), जो नागरिक या नागरिक समूह उठाते है उनकी सभी मांगों में से महत्त्वपूर्ण मांगों को पूर्ण करने का प्रयत्न (प्रदर्शन, सभा आयोजन, संसद में समर्थन व विरोध के माध्यम से) राजनीतिक दल करते है। इससे नागरिक शासन व्यवस्था राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहते हैं और शासन व्यवस्था भी अच्छे मार्ग की ओर बढ़ती है।

4. **संचार वाहक** राजनीतिक दल शासक व शासितों के बीच पुल का कार्य करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में संचार का बड़ा महत्त्व है। राजनीतिक व्यवस्था में कई चरण होते हैं। इन चरणों में दो–तरफा संचार राजनीतिक व्यवस्था को उचित रूप से संचालन के लिए अनिवार्य है और राजनीतिक दल वह मध्यस्थ बनते हैं, जिनके जरिए राजनीतिक दल शासन को जनता तथा जनता को शासन से जोड़ते हैं। इससे शासन तृणमूल से अलग नहीं रहता और पर्याप्त जन संचार के कारण शासन के निरंकुश होने का भय भी नहीं विद्यमान रहता।

5. **नीति निर्माण** राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य नीति निर्माण करना है। सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल विभिन्न सभाओं, चुनावी घोषणापत्रों में जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ नीतियों, कार्यक्रमों की घोषणाएं करते हैं और सत्ता प्राप्त करने के पश्चात् वह उन नीतियों कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्रियान्वित करते हैं । विभिन्न हित–समूहों, नागरिकों द्वारा उठाई जाने वाली उचित व

आवश्यक मांगों पर भी कार्यक्रम व नीतियाँ बनायी जाती है। साथ ही जब राजनीतिक दल सत्ता में न होकर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तब वह सत्ताधारी पक्ष पर जनहितकारी नीतियों के निर्माण हेतु सत्ताधारी दल पर दबाव डालते है।

6. **जन–जागरूकता तथा समाजीकरण** जनता को जागरूक तथा उनके राजनीतिक समाजीकरण भी राजनीतिक दल करते हैं। कई दलों के वाद–विवादों विमर्शो तथा चुनावी अभियान व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के जरिए राजनीतिक दल जनता को शिक्षित जागरूक करते हैं। राजनीतिक शिक्षा लोगों को प्रदान करते हैं, जिससे जनता राजनीतिक समस्याओं से अवगत हो तथा अपने अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक हो। राजनीतिक दल समय–समय पर विपक्षी दलों तथा सत्ताधारी दल के पक्ष–विपक्ष में लेख, पर्चे प्रकाशित करते रहते हैं जिससे विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों के विचार, यथार्थ सभी तक पहुँचते रहे और नागरिक स्वयं निर्णय करे कि कौन सही है और कौन गलत इस तरह वह एक व्यापक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था में यह संस्कृति व उसके अनुरूप समाजीकरण लोकतांत्रिक रहता है साम्यवादी देशों में साम्यवादी समाजीकरण रहता है।

इस प्रकार मौलिक मूल्य तथा नियम राजनीतिक दल प्रत्येक व्यवस्था में उत्पन्न करते हैं, जिससे सही–गलत, नैतिक–अनैतिक को जनता पहचान सके।

7. **राजनीतिक भर्ती**

राजनीतिक दलों का एक कार्य भर्ती भी है। यह भर्ती प्राथमिक रूप से सदस्यों की भर्ती से सम्बंधित है और दल को सुसंगठित संचालन के लिए, जिन नेताओं की आवश्यकता पड़ती है, उनसे भी सम्बंधित है (अभिजन भर्ती)। सार्वजनिक पदों पर भर्ती के लिए दल के सदस्यों को प्रशिक्षित व तैयार किया जाता है, जिससे वह समय पर राज्य अथवा राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व करने की क्षमता रखे, उनमें से उचित को चुना जा सकें। व्यवहार में, ऐसा संभव है कि किसी बाहरी व्यक्ति (संभवतः करिश्माई व्यक्तित्व) के हाथों में सीधे राजनीतिक नेतृत्व सौंप दिया जाए। परन्तु ऐसा होने के लिए भी उस व्यक्ति को राजनीतिक दल की प्राथमिक सदस्यता लेनी ही पड़ती है। अतः भर्ती व नेतृत्व निर्माण दलों का अनिवार्य कार्य है।

8. **सरकार का संगठन**

राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर सरकार बनाते है। सरकार बनाने के पश्चात् सरकार के संगठन के रूप भी वह दल कार्य करते हैं। वह दल सरकार की सहायता करते है तथा सरकार व दल के बीच स्थायित्व व सुसम्बद्धता बनाए रखते है। सामान्यतः सरकार के महत्त्वपूर्ण पर्दों पर राजनीतिक दल के ही महत्त्वपूर्ण सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। इसे विधायिका व कार्यपालिका जो सरकार का महत्त्वपूर्ण अंग है, में देखा जा सकता है। इसके साथ ही सत्ताधारी दल सरकार की नीतियों, सकारात्मक कार्यों आदि को जनता के बीच भी प्रचारित करता है। इससे सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुँचती है और पुनरू उस दल को सत्ता की प्राप्ति की संभावनाएं तैयार होती है।

**उद्देशय**

1. राजनीतिक दलों का महत्व पर अध्ययन करना।

2. उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चेतना के विकास पर अध्ययन करना ।

**राजनीतिक दलों का महत्व**

जनीतिक दल आधुनिक समय में जीवन की एक आवश्यकता बन गया है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जहाँ जनता के प्रतिनिधि ही शासन की बागडोर सम्भालते हैं, वहाँ राजनीतिक दल के बिना काम चल ही नहीं सकता। निरंकुश एकतन्त्रात्मक शासन में राजनीतिक दल का तो और भी महत्व बढ़ जाता हैं। साम्यवादी राज्यों में जहाँ दल और शासन मे कोई भेद नहीं, वहाँ राजनीतिक दल ही सर्वेसर्वा हैं। प्रजातंत्र का राज्य कैसा सी हो, राजनीतिक दल जीवन रक्त के समान हैं। राजनीतिक दलों को सरकार का चौथा अंग कहा जा सकता हैं। ह्वावूर के शब्दों में," प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल ईधन के समान हैं।"

राजनीतिक दलों का महत्व या उपयोगिता निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट की जा सकती हैं––

1. राजनीतिक दल जनतांत्रिक सरकार की कार्यकारिता के लिए अपरिहार्य है। एडमण्ड बर्क के अनुसार, " दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो अथवा बुरे के लिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है।ॽ राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित को व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण नीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसके पक्ष में लोकमत का निर्माण करते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली को मूर्तरूप देते हैं और शासन के संचालन के साथ ही उसकी निरंकुशता को नियंत्रित करते हैं और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं, अधिकारों एवं मूल्यों की रक्षा करते हैं।
2. मेकाइवर का कथन है कि," दलीय संगठन के बिना किसी सिद्धान्त का व्यवस्थित एवं एकीभूत प्रकाशन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता संसदीय चुनावों की वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं हो सकती और न ऐसी मान्य संस्थाओं की व्यवस्था ही हो सकती है जिनके द्वारा कोई भी दल शांति प्राप्त करता है तथा उसे स्थिर रखता है।"
3. शासन व्यवस्था चाहे संसदात्मक हो अथवा अध्यक्षात्मक, राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार का कुशल संचालन नहीं हो सकता। विरोधी दलों के रूप में भी दलों का बहुत महत्व है क्योंकि विरोधी दल ही सरकार की नीतियों तथा उसके कार्यों पर नियंत्रण रखता है और उसे निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधि सरकार सफलता के साथ चल सकती है।
4. एक स्वस्थ एवं जागरूक राजनीतिक वातावरण केवल राजनीतिक दल ही कायम कर सकते हैं। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में सहायक होते हैं। लावेल का कहना है कि," राजनीतिक दल किसी प्रश्न पर जनमत तैयार करने के लिए वे कुछ सिद्धान्त या प्रश्न उपस्थित करते हैं।"
5. लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और लोकमत का निर्माण मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। दलों के अपने निश्चित सिद्धान्त होते हैं। इन सिद्धान्तों के आधार पर ही मतदाता उनके उम्मीदवारों को चुनावों में परास्त या विजयी बनाते हैं। राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करके न केवल सरकार का निर्माण करते हैं अपितु राजनीतिक दल विरोधी पक्ष की भुमिका का निर्वाह करके सरकार के अनुचित एवं स्वेच्छाचारी कार्यों पर अंकुश भी लगाते हैं।

6. लॉड ब्राइस का कथन है कि, " राजनीतिक दल अनिवार्य है और कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता है। किसी व्यक्ति ने यह नहीं बताया है कि प्रजातंत्र उनके बिना कैसे चल सकता है। ये मतदाताओं के समूह की अराजकता में से व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। यदि दल कुछ बुराइयां उत्पन्न करते हैं तो वे दूसरी बुराइयों को दूर भी करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल आधुनिक राज–व्यवस्था एवं शासन प्रणाली का अनिवार्य अंग हैं।

## राजनीतिक दलों के विचारधारात्मक वर्गीकरण का आधार

**दक्षिणपंथी राजनीतिक दल:** दक्षिणपंथी दल मूलतः नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के समर्थक होते है, जो बाजार को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखने की बात करते हैं, निजीकरण के हिमायती बनते हैं परन्तु सामाजिक मुद्दों व धर्म में अनुदारवादी रवैया अपनाते हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते है। संस्कृति के नाम पर राष्ट्रवाद को आगे बढाते हैं। ऐसे दलों का सामाजिक आधार मुख्यतः उच्च व मध्य वर्ग (व्यापारी वर्ग) का एक बड़ा हिस्सा होता है।

**वामपंथी राजनीतिक दल:** वामपंथी दल प्रगतिशील, समाजवाद पर बल देते है और गरीबों, मजदूरों, कृषकों व आम जनता के हितैषी तथा निजीकरण, बड़े उद्योगपतियों के विरोधी होने के साथ नवउदारवादी नीतियों के घोर विरोधी होते हैं। वह सामाजिक सुधर तथा आर्थिक लोकतंत्र के प्रति अपनी कड़ी प्रतिबद्धता रखते है। ऐसे राजनीतिक दल चाहते हैं कि बाजार का संचालन राज्य स्वयं करे क्योंकि बाजार कमजोर को बहिष्कृत कर देता है, जिसे राज्य द्वारा विशेष व्यवहार से ही मुख्यधारा द्य में शामिल किया जा सकता है। अतरू सकारात्मक समतावाद में वामपंथ विश्वास रखता है। इन दलों का सामाजिक आधार व समर्थन गरीब व वंचित वर्ग सामान्यतरू करते है।

**केंद्रीयपंथी राजनीतिक दल:** दक्षिणपंथ व वामपंथ के बीच की विचारधारा में इस प्रकार के राजनीतिकदल कार्य करते है। वह नव उदारवादी नीतियों के समर्थक हो सकते हैं परन्तु सामाजिक मुद्दों व धार्मिक मुद्दों पर प्रगतिशील विचार रखते हैं। ऐसे दल उद्योगपतियों व आम जनता दोनों के हित में कार्य करने की बात करते हैं।

## उत्तर प्रदेश राजनीतिक दल: विपणन, प्रचार और अभियान

भारत गणराज्य में 29 राज्य हैं जिनमें से उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और उत्तरी भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यह अर्थव्यवस्था के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे–जैसे नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न जातियों, समुदायों, पंथ और धर्म के मतदाताओं को जुटाने के लिए बड़ी संख्या में राजनीतिक समीकरण अस्तित्व में आ रहे हैं। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों को लेकर मतदाताओं की अपनी पसंद और राजनीतिक दलों और नेताओं की अपनी समझ होती है। वोट देने के लिए उनके पास अलग–अलग पैरामीटर भी हैं।

लोकसभा में सबसे अधिक सीटों वाला उत्तर प्रदेश सरकार गठन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है और पूरे भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं का ध्यान आकर्षित

करता है। जैसा कि इस चुनाव की पूर्व संध्या में स्पष्ट रूप से देखा गया है कि बिहार विधानसभा चुनावों में एक बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार जैसे नेता अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों और अन्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय दलों के खिलाफ एकजुट होने के लिए चाहे वह कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, जो भी जीत की स्थिति में आती है, उनके संयुक्त गठबंधन को उन्हें चुनौती देनी होगी। कहीं न कहीं इन समूहों को उनके अस्तित्व के बारे में जागरूक करते हुए, मुख्य प्रवृत्ति उन्हें बिना किसी गठबंधन के सत्ताधारी सीट पर आने की अपनी शक्ति का एहसास करना है। अब सवाल जाति का नहीं बल्कि समूहों के अपने अस्तित्व का रह गया है। उन्हें मुख्य सतह पर समान होना चाहिए। पहचान मतदाता को पार्टियों से नहीं बल्कि उम्मीदवार से जोड़ती है। इससे मतदाता की मानसिकता भी बदली है। दो कारक रूपांतरण में मदद करते हैं। एक है मतदाता लामबंदी और जागरूकता अभियान और दूसरा है नेता अपने वक्तृत्व कौशल के माध्यम से लोगों के साथ एक प्रारंभिक संबंध स्थापित करते हैं। आने वाले चुनावों की संभावनाएं लगातार बदल रही हैं।

उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए जाति फिर से एक प्रमुख लामबंदी की रणनीति के रूप में उभर रही है। यह मुझे एक लोक कहावत की याद दिलाता है, शफिरबैताल उस दाल पर (बैताल फिर से उसी शाखा पर बैठा है)'। स्वतंत्रता सेनानी और भारत में समाजवादी आंदोलन के विचारक राम मनोहर लोहिया ने ठीक ही कहा था कि ष्भारतीय राजनीति एक बीमा पॉलिसी की तरह है। आपको कोई प्रीमियम निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आवश्यकता हो जाति का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है और यह सकारात्मक रिटर्न और अतिरिक्त ब्याज के साथ प्रीमियम वापस देगा।

राजनीतिक दल चुनाव से पहले जाति के चुनावी ध्रुवीकरण के नए–नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। भारत में पार्टियों के अपने श्आधार वोटश होते हैं, यानी उस जाति के वोट जो किसी विशेष पार्टी के नेतृत्व में शक्तिशाली होते हैं। उत्तर प्रदेश में, पार्टियां विभिन्न जातियों के साथ विभिन्न प्रकार के गठबंधनों में प्रवेश करने की कोशिश करके अपने आधार वोटों को जोड़ने के लिए श्सौतेली जाति के वोटश की संभावना तलाश रही हैं। इस तरह चुनावी लोकतंत्र एक श्जातितंत्रश (जातितंत्र) में बदल रहा है। स्टेपनी वोट हासिल करने की रणनीतियों में से एक जाति–आधारित पार्टियों के साथ गठजोड़ करना है। कई बड़ी जातियों ने अपने छोटे जाति–आधारित राजनीतिक दल बनाए हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) जैसे बड़े राजनीतिक दल गठबंधन कर रहे हैं।

अन्य दल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रचार के माध्यम से न केवल नकारात्मक बातें फैलाई जा रही हैं बल्कि सरकारी योजनाएं भी लोगों के व्यापक समूह तक अपनी पहुंच बना रही हैं। वे उस पार्टी की स्थिति के बारे में जानने की स्थिति में हैं जो उसके प्रदर्शन को सही ठहरा रही है, हालांकि एक पहलू यह है कि मीडिया के माध्यम से सटीक आंकड़े प्रसारित नहीं किए जाते हैं, लेकिन अगले चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल के पक्ष में कुछ संशोधन किए जाते हैं।

**लहर:** वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अपना दल (कुर्मियों की पार्टी मानी जाती है) और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (राजभर की पार्टी मानी जाने वाली) के साथ गठबंधन है। राजनीतिक

गलियारों में चर्चा यह है कि भाजपा पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए काम कर रही है, जो लोनिया, नोनिया, गोले–ठाकुर, लोनिया–चौहान और धोभी जैसी अधिकांश पिछड़ी जातियों में प्रभावशाली हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय लोक दल (जिसे जाटों की पार्टी माना जाता है) के साथ गठबंधन करने की संभावना है। इन सभी समीकरणों के पीछे का राजनीतिक प्रचार समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को बनाए रखने के लिए समावेशी दृष्टिकोण वाली पार्टी के रूप में खुद को उजागर करना है, जबकि तथ्य इन धारणाओं से बिल्कुल अलग है और केवल उनके वोट तक पहुंचने के पक्ष में है।

दलित कार्ड बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) जो दलितों के अधिकारों और राजनीति की मुख्य धारा की मुख्य प्रस्तावक है, पहली राजनीतिक पार्टी रही है जिसने 2015 की शुरुआत में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके 2017 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी थी। यह समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में थी। (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जब तक पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग के चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य और दलित नेता आर.के. चौधरी। दोनों ने मायावती पर विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के टिकटों की नीलामी करने का आरोप लगाया और उनके बाहर निकलने के बाद रवींद्रनाथ त्रिपाठी और परमदेव यादव आए।

सुश्री मायावती ने पार्टी के उम्मीदवारों और संभावित उम्मीदवारों को दलित बस्तियों का दौरा करने का भी निर्देश दिया है और नेताओं को बामसेफ (पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ) को पुनर्जीवित करने के लिए भी कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए दलित सरकारी कर्मचारियों का एक छाया संगठन है। समुदाय को नेतृत्व ने राज्य की 85 आरक्षित सीटों पर विभिन्न जातियों को आकर्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जहां सबसे बड़ी दलित आबादी है और जहां गैर–दलित समूहों के समर्थन की कमी के कारण पार्टी अक्सर प्रदर्शन करने में विफल रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में 85 आरक्षित सीटों में से बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) ने केवल 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी (सपा) ने 58, कांग्रेस ने चार, भारतीय जनता पार्टी ने तीन, राष्ट्रीय लोकदल ने तीन और निर्दलीय ने दो जीते थे। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ 311 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बावजूद महज 54 सीटें जीत पाईं थीं।

पांच वर्ष बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी सिर्फ 18 सीटों पर सिमट कर रह गई. क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्या जैसे अनेक कद्दावर नेता का इस पार्टी से मोह भंग हो गया और उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था. जो 2017 और 2019 में जारी रहा. अब इस साल एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भी आधी आबादी का वोट निर्णायक साबित हो सकता है. यही कारण है कि सभी पार्टियों ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं को अहम स्थान दिया है. इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहल की और चुनावी समर के आगाज के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने आधी आबादी पर अपना मुख्य फोकस रखते हुए शक्ति विधान यानी अपना महिला घोषणा पत्र जारी किया. साथ ही 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' नारे के साथ महिलाओं को अपनी ताकत पहचानने के लिए प्रेरित किया.

उत्तर प्रदेश के वास्तविक मौजूदा राजनीतिक वातावरण के बारे में बता रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि जबकि हम अन्य राज्यों या देश के विभिन्न हिस्सों में चुनावों को लेकर हंगामा देखते हैं,

हम देखते हैं कि विकास और तकनीकी प्रगति के कारकों जैसे राजनीतिक नौटंकी के रूप में कई तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की स्थिति दूसरों से काफी अलग है। जैसा कि हम यहां देखते हैं कि जाति कार्ड को भुनाया जा रहा है और राजनीतिक दलों की विचारधारा के विपणन के एक उपकरण के रूप में विभिन्न कोणों में इसका उपयोग सफल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव ही मुख्य लक्ष्य है, इसके विपरीत यहां मतदाताओं के मन में दूसरों के प्रति जहर घोलने के लिए प्रचार किया जाता है।पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम में शासन परिवर्तन के कारण परिवर्तन की कई लहरें देखी गई हैं।

## उपसंहार

राजनीतिक समूहों के साथ सामाजिक समूहों के सीधे जुड़ाव के परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धी राजनीति में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां राजनीतिक दल सभी सामाजिक वर्गों से राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। बल्कि, वे अपने प्रयासों को कुछ सामाजिक वर्गों तक सीमित रखते हुए उन्हें मानव विकास और कल्याणकारी लाभ प्रदान करते हैं।

इस मामले में, राजनीतिक दलों की जीतने की क्षमता अनन्य मानव विकास ऐतिहासिक निर्णयों को लॉन्च करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है राजनीतिक दलों के सामाजिक आधारों की अनिश्चितता ने ऐसी प्रवृत्तियों को प्रेरित किया है। विशिष्ट सामाजिक वर्गों का समर्थन करने और समर्थन प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक दलों ने विभिन्न एजेंडा अपनाए हैं और संसाधनों और भौतिक लाभों को अपने सामाजिक आधारों की दिशा में निर्देशित किया है। एक आर्थिक वर्ग के रूप में गरीब लोगों को निशाना नहीं बनाया गया; जाति लामबंदी के मामले में यह काफी हद तक राजनीति थी। मानव विकास और कल्याण के लिए सार्वजनिक नीतियां पहले से ही भारतीय संविधान द्वारा अनिवार्य हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान में सकारात्मक भेदभाव पहले से मौजूद है।

## संदर्भ सूचि:


[1]. बद्री नारायण, (22 जुलाई 2016), उत्तर प्रदेश में, पार्टियां जाति के हिसाब से काम करती हैं www-thehindu-com

[2]. लालमणि वर्मा, (13 जुलाई 2016), उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावरू बड़े चार महत्वपूर्ण चुनावों के लिए कैसे कमर कस रहे हैं 2017 में कौन शीर्ष पर आएगा www-indianeÛpress-com

[3]. रामाश्रय रॉय और पॉल वालेस (सं.) "उत्तर प्रदेश में पार्टी सिस्टम का एथ्निफिकेशन और इसके परिणाम," भारतीय राजनीति और 1998 का चुनाव, (सेज, नई दिल्लीरू 1999)

[4]. द्रेज जे. और 11. गजदार (1997), उत्तर प्रदेशरू द बर्डन ऑफ इनर्टिया, इन ज्यां द्रेज और अमर्त्य सेन (सं।)। इनुलान डिवेलपन्यूरू सेलेरल रीजनल पर्सपेक्टिव्स। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, पीपी. 33–128।

[5]. भारत में ज़ोवा हसन (एफडी) दल और पारन राजनीति। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली। पीपी 370–396। इंडिया टुडे (2006), ट्युकिंग रम्से इन सोप्स, 10 जुलाई।

[6]. जट्रेलर, सी (2003) हीज़ साइलेन रेवोल्यूशन: द राइज़ ऑफ़ द लवर्स कास्ट्स इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, पर्निएंन्ट ब्लैक ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली

[7]. ह्यूमन डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश पाई, एस (2005) फ्रॉम हरिजन्स टू दलित्सरू आइडेंटिटी फॉर्मेशन, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स इन उत्तर प्रदेश, घनश्याम शाह (एड।), दलित आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स, सेज, नई दिल्ली, पीपी. 258–287.

[8]. हसन, जेड (2017): 'उत्तर प्रदेश में केसर तूफानश। द हिंदू: 16 मार्च।

[9]. कुमार, आर. और सिंह, ए.के. (2017): वाराणसी के विधानसभा चुनाव में मतदान व्यवहाररू एक भौगोलिक विश्लेषण। नेशनल ज्योग्राफिकल जर्नल ऑफ इंडिया, वाराणसी। वॉल्यूम। 63 पीटी.4, दिसंबर 2017:37– 48.

[10]. सुखवाल, बी.एल. (2015): प्रवासी भारतीयों की नजर से भारत का लोकतंत्र और 2014 का संसदीय चुनाव। एनल्स ऑफ द नागी, दिल्ली। खंड 45 (1) जून 2015रू 01–10। www-eci-nic (भारत के चुनाव आयोग राज्य चुनाव 2012–17 उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए) 21. 07. 2017 को पहुँचा।